राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक. एफ20(101)बजट/लेखा/निकाशि/2012–13/ 465 दिनांक 17/5/12

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,

विषयः– वित्त वर्ष 2012–13 में आवंटित बजट को उपयोग करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्र्तगत लेख है कि आपके महाविद्यालय को वित्त वर्ष 2012–13 के लिये महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार बजट आवंटित कर दिया गया है। गत् वर्षो में देखा गया है कि संवेतन मद के अलावा अन्य मदो जैसे चिकित्सा यात्रा, कार्यालय व्यय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला व्यय इत्यादि में व्यय करने की प्रवृति प्रायः वर्ष के अन्तिम महिनों में रही है जो वित्तीय नियमानुसार सही नहीं है इस प्रवृति के कारण विभाग द्वारा बीएफसी में प्रस्तुत किये जाने वाले विभागीय प्रस्तावो पर वित्त विभाग द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता जिसके कारण महाविद्यालयों के लिए आवश्यक यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय आदि मदो में समुचित प्रावधान स्वीकृत नहीं हो पाता है।

अतः आपके महाविद्यालय के लिये आवंटित बजट को निम्न बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

1. जिन महाविद्यालयों में बिजली–पानी के बिलों को अपरिहार्य कारणो से छात्रनिधि कोष से भुगतान कर दिया जाता है व्यय की गई राशि को कार्यालय व्यय से आहरित कर छात्रनिधि कोष को पुनर्भरण किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
2. जिन महाविद्यालयों में चिकित्सा मद में पैंडिंग क्लेम शेष है उन बकाया क्लेमस को नियमानुसार जांच कर भुगतान योग्य राशि का निर्धारण करावें। जो क्लेम नियमनुसार देय नहीं है उनको महाविद्यालय स्तर पर न रखे, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को वापस कर दे जिससे महाविद्यालय में आनावश्यक बकाया क्लेम शेष नहीं रहें। बकाया क्लेम का भुगतान आपको उपलब्ध कराये गये बजट से दिनांक 30.06.2012 तक वरीयता क्रम के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये दिनांक 30.06.2012 तक बजट उपलब्ध होते हुऐ

यदि पैंडिंग क्लेम का निस्तरण नहीं किया जाता है तो निदेशालय स्तर पर इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

3. इसी तरह यात्रा बिलों के पैंडिंग क्लेम को नियमानुसार जांच कर राशि के निर्धारण उपरान्त वरीयता क्रम में दिनांक 30.06.2012 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

4. जिन महाविद्यालयो को सम्बदता शुल्क की राशि जमा करानी है उन महाविद्यालयो को माँग के अनुसार राशि का आवंटन किया जायेगा। अतः सम्बन्धित विश्वविद्यालय/अन्य से प्राप्त माँग राशि का भुगतान किये जाने वाली अन्तिम तिथि से पूर्व प्रस्ताव निदेशालय को भिजवायें।

5. बजट आवंटन आदेश समसंख्यक पत्र क्रमांक 1–140 दिनांक 09.04.2012 के साथ संलग्न किये गये प्रपत्र में आपके महाविद्यालय से सूचना चाही गई थी। जिन महाविद्यालयो द्वारा सूचना नहीं भेजी गई वह प्रपत्र में मांगी गई वांछित सूचना को दिनांक 31.05.2012 तक आवश्यक रूप से भिजवायें। जिससे संवेतन एवं एरियर के भुगतान हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जा सके।

6. आपके महाविद्यालय द्वारा किये गये व्यय को माह के अन्त में अपने कोषालय से जरूर मिलान करावें यदि मिलान नहीं किया जाता है तो आपके महाविद्यालय को आवंटित बजट निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा Freez कर दिया जायेगा जिसके लिये आप स्वंय उत्तरदायी होगें। निदेशालय को मासिक व्यय विवरण पत्र भेजते समय विवरण पत्र के नीचे यह प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लगावें।

"मासिक विवरण पत्र में दर्शाये गये अंको का मिलान कोषालय की लेखा पुस्तको से कर लिया गया है जो सही है"।

भवदीय

मुख्य लेखाधिकारी
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक. एफ20(101)बजट/लेखा/निकाशि/2012–13/ 465 दिनांक 17/5/12

प्रतिलिपी : श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि कृपया विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

E:\accounts vibhag\goul ji\latter.doc